जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 25/2016 शकुन्तला पत्नि कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ बनाम 1-उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ 2-सतार खां पुत्र बरियाम खां जाति मुसलमान निवासी चक 3 एम सी तहसी सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.05.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री विजय रेवाड़ उपस्थित है। उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में लंबित रिमाण्ड पत्रावली मीडियम पेच आवंटन चक 3 एम. सी. तहसील सूरतगढ़ प0न0 42/16 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर धारा 54 भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। प्रार्थीया शकुन्तला ने एक प्रा0 पत्र दिनांक 03.05.2016 का प्रस्तुत कर प्रार्थना की गयी है कि वह अब इस प्रा0 पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नही .चाहती है अतः प्रा0 पत्र में कार्यवाही समाप्त की जावे। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए भी यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है और खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीया शकुन्तला द्वारा मुन्तकिली प्रा0 पत्र आगे कार्यवाही न चाहने के कारण एवं उपखण्ड अधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर